न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-41/2023

राज्य

बनाम्

रंजीत कुमार वगैरह

–: आदेश :–

10/06/24

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 300/एम0 दिनांक 14.03.2023 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

यह वाद बारियातु थाना काण्ड संख्या–06/2023 दिनांक–10.01.2023 से संबंधित है। राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि थाना प्रभारी, बारियातु थाना का पत्र DR-86/23 दिनांक 31.01.2023 द्वारा बारियातु थाना काण्ड संख्या–06/2023 दिनांक 10.01.2023 में कोयला खनिज के अवैध उत्खनन/परिवहन संबंधी मामले में जप्त ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH19C-6233 एवं ट्रैक्टर रजि0 नं0–UP64AR-3135 के ट्रॉली में लदे कोयला खनिज के निलामी/राजसात की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा बारियातु थाना काण्ड संख्या–06/2023 दिनांक 10.01.2023 में कोयला खनिज के अवैध उत्खनन/परिवहन संबंधी मामले में जप्त उपरोक्त दोनों ट्रैक्टर और उसके ट्रॉली में लदे कोयला खनिज को राजसात एवं निष्पादन की कार्रवाई हेतु "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

उपरोक्त वाद में विपक्षीगण को नोटिस निर्गत कर उन्हें तामिला कराया गया। विपक्षी नं0 2 सदाकत आलम के द्वारा न्यायालय को सूचित किया गया कि ट्रैक्टर रजि0 नं0–UP64AR-3135 को कृषि कार्य में किया जाता है कभी भी अन्य कार्य में नहीं लगाया गया है और न हीं गढ़वा से लातेहार जिला लाया गया है। उक्त काण्ड से कोई लेना देना नहीं है। तत्पश्चात् जिला

खनन पदाधिकारी, लातेहार से इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग करने पर जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 531/एम0 दिनांक 09.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बारियातु थाना काण्ड संख्या–06/2023 दिनांक 10.01.2023 में स्वराज ट्रैक्टर मॉडल–834XM इंजन नं0–33.1008/ SDMO5748 चेसीस नं0–MBNAG48ACMTM74878 जप्त है, जिसके मालिक फुलचन्द कुमार रवि, पिता–खेदन राम, ग्राम–रजवार, पो0–होलंग, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH19C-6233 इंजन नं0–RLE2EAN-1655 के निबंधित स्वामी रंजित कुमार, पिता–शशि राम, ग्राम–हाताटोंगरी, चिरू, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार है। रंजित कुमार ने दिनांक 28.11.2022 को उक्त ट्रैक्टर शशि राम पिता–चरकु राम, ग्राम–हुम्बू के हाथों बिक्री कर चुके हैं तथा शशि राम माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर उक्त वाद में जमानत प्राप्त कर चुके हैं। शशि राम बिक्री एकरारनामा के मार्फत नामांतरण हेतु जिला परिवहन कार्यालय में अर्जी दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार स्वराज ट्रैक्टर मॉडल–834XM इंजन नं0–33.1008/SDMO5748 चेसीस नं0–MBNAG48A CMTM74878 के निबंधित स्वामी फुलचंद कुमार रवि पिता–खेदन राम, ग्राम–रजवार, थाना–बालूमाथ जिला–लातेहार है, जिन्होंने दिनांक 02.12.2022 को अपना उक्त ट्रैक्टर चरकु राम पिता–स्व0 करीवा बुधन राम, ग्राम–हुम्बू थाना–हेरहंज को बिक्री कर चुके हैं तथा चरकु राम एकरारनामा के मार्फत उक्त ट्रैक्टर जप्ती काण्ड में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर वर्तमान में जमानत पर हैं तथा उक्त वाहन का मालिक है एवं नामंतरण हेतु परिवहन कार्यालय में अर्जी दाखिल कर रहे हैं। विपक्षीगण ने वाहन बिक्री एकरारनामा की प्रतियां बारियातु थाना काण्ड संख्या–06/2023 के अनुसंधानकर्ता को सुपूर्द कर चुके हैं तथा उसी आधार पर उनकी जमानत याचिकाएं अदालत द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। विपक्षीगण एक निहायत गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं तथा जीविकोपार्जन हेतु सिर्फ खेती करते हैं और कृषि कार्य के प्रयोजन हेतु उक्त ट्रैक्टरों को ऋण लेकर क्रय किये हैं। उक्त ट्रैक्टरों पर गलती से कोयला साईकल सवारों से खरीद कर लोड किया गया है, चुंकि आवेदकों को घर बनाना था और अपनी रैयती जमीन

पर स्वयं के उपयोग हेतु बंगला इंट भठ्ठा लगाये हैं उसी इंट को पकाने हेतु कोयला क्रय कर परिवहन कर रहे थे। तदुपरान्त पुलिस द्वारा जप्त कर ली गयी है। विपक्षीगण कोयला का कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर का दावा कर रहे हैं, ताकि कृषि कार्यों का संचालन कर सकें। चुंकि अब कृषि का समय नजदीक है इसलिए ट्रैक्टर रिलीज करने की प्रार्थना की जा रही है। आवेदकगणों के द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत कर यह घोषणा की जा रही है कि अब भविष्य में वे कोई भी आपति जनक कार्य में उक्त ट्रैक्टर का उपयोग नहीं करेंगे।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

बारियातु थाना काण्ड संख्या–06/2023 दिनांक 10.01.2023 में जप्त महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH19C-6233 एवं स्वराज ट्रैक्टर मॉडल–834XM इंजन नं0–33.1008/SDMO5748 चेसीस नं0–MBNAG48ACMTM74878 पर लदे कोयला से संबंधित कोई भी वैध कागजात विपक्षीगण के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH19C-6233 एवं स्वराज ट्रैक्टर मॉडल–834XM इंजन नं0–33.1008/SDMO5748 चेसीस नं0–MBNAG48ACMTM74878 के द्वारा अवैध कोयला का परिवहन किया गया है। अतः महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH19C-6233 एवं स्वराज ट्रैक्टर मॉडल–834XM इंजन नं0–33.1008/SDMO5748 चेसीस नं0–MBNAG48ACMTM74878 ट्रॉली सहित तथा ट्रॉली में लदे लगभग 06 टन कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन एवं उसपर लदे

कोयला की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहनों के निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बारियातु थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

10/06/23

उपायुक्त,
लातेहार।

10/06/23

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.06.10 17:46:52 +05:30
Location: 10.93.47.5